न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 17/2017

आरसीएमएस नम्बर– 2017/00103

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
फूलाराम पुत्र रूपाराम जाति सीरवी निवासी रानीगांव तहसील रानी जिला पाली		1 वेलाराम पुत्र हिम्मताराम 2 चुन्नीलाल पुत्र जसाजी जातिगण मारू कुम्हार निवासीगण रानीगांव तहसील रानी जिला पाली 3 ग्राम पंचायत रानीकलां जरिये सरपंच, तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री खंगारराम पटेल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 09/09/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 3/2016–17 में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 06.07.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रानीकला में प्रार्थी का पुश्तैनी पट्टासुदा नोहरा स्थित हैं, जिसके समीप स्थित खालसा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से पट्टा जारी किया हैं, जबकि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का किसी भी रूप में कब्जा नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संया 1 व 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में आने वाली भूमि पर जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। पंचायत सड़क सीमा की भूमि में पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसमें उक्त भूमि अपने हक अधिकार एवं स्वामित्व की भूमि होना बताते हुए पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। यह तथ्य गलत हैं, क्योंकि उक्त

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कब्जा नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा जितनी भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया हैं, उससे अधिक भूमि पर उनके द्वारा कब्जा किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बहस में निवेदन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पुश्तैनी कब्जा था तथा मौके पर पुराना केलूपोश का कच्चा मकान था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में काका–भतीजा लगते हैं, जिनका संयुक्त कब्जा था। ग्राम पंचायत ने सड़क सीमा को छोड़ते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया हैं। इस भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक सिविल वाद भी प्रस्तुत किया, जो खारिज़ हो चुका हैं। इसके अतिरिक्त यदि पट्टासुदा भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य किया गया हो, तो वह विधिक प्रावधानों के तहत हटाया जा सकता हैं। इस तथ्य को निगरानी के क्षेत्राधिकार में परीक्षित नहीं किया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा नक्शा मौका तैयार करवाया एवं पंचों की रिपोर्ट तलब की। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 07.06.2016 को पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होना अंकित किया, किन्तु पत्रावली के संलग्न जो रिपोर्ट है, उस पर पंचों के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। इसी दिनांक को आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 07.06.2016 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो मौतबिरान के रूबरू चस्पा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 06.07.2016 तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया।

प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने का यह भी आधार लिया गया है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी किया गया है, वह सड़क सीमा के भीतर जारी किया गया हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट व उसके संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी विवादित भूमि की दक्षिण–पश्चिमी कोण रानी–केनपुरा रोड़ के मध्य बिन्दु से 45 फीट तथा भूमि का दक्षिण–पूर्वी कोण

रानी–केनपुरा रोड़ के मध्य बिन्दु संख्या 40 फीट की दूरी पर स्थित हैं। जहां तक पंचायती राज नियम 1996 के तहत पट्टा जारी करने में सड़क सीमा के जो प्रावधान वर्णित किए है, उनके अनुसार नियम 161 (2) (घ) में यह प्रावधित किया गया है कि "अन्य जिला सड़कों और गांव की सड़कों की मध्य रेखा से पचास फुट के भीतर किसी आबादी भूमि का विक्रय नहीं करेगी" इस नियम के परिप्रेक्ष्य में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे का अवलोकन किया जाता है, तो यह प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह सड़क सीमा के 50 फुट के भीतर जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 (2) (घ) का उल्लंघन हैं। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी पट्टा कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 3/2016–17 में पारित प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 06.07.2016 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 24 दिनांक 24.08.2016 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/03/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली